न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 90/2022

पंजीयन दिनांक 23.06.2022

भगवाना पिता नोला जाति अहीर निवासी इंदोरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

(1). रामेश्वर पिता सीताराम जाति अहीर निवासी इंदोरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(2). माधवलाल पिता सीताराम जाति अहीर निवासी इंदोरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(3). सीमा पुत्री सीताराम जाति अहीर निवासी इंदोरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(4). लेहरी देवी पत्नी सीताराम जाति अहीर निवासी इंदोरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(5). उदयराम पिता नाना जाति अहीर निवासी इंदोरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(6). नारू पिता नाना जाति अहीर निवासी इंदोरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(7). देऊ बाई पत्नी सूरजमल जाति अहीर निवासी इंदोरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(8). नानी पत्नी मांगु जाति अहीर निवासी इंदोरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

(9). प्रबंधक चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

(11).राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध अंतिम निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 14/2020 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2022

उपस्थित वक्त बहस-(1). छोगालाल जाट-अधिवक्ता अपीलांट
(2). भैरूलाल गुर्जर - अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1
(3). दिनेश दायमा-अधिवक्ता रेस्पो0 सख्या 6, 7
(4). रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5,8,9-बावजूद सूचना अनुपस्थित
(5). हितेश चास्टा-रेस्पोडेन्ट संख्या 10
(6). पूरणमल स्वर्णकार-राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 11

निर्णय **दिनांक 13.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा इन्दौरा तहसील गंगरार की जमाबंदी सम्वत 2076 की जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 15 मे दर्ज आराजी संख्या 121, 2148, 2202, 2203, 2204, 2212, 586, 594, 595, 597, 73, 97 कुल किता 12 कुल रकबा 5.50 हैक्टेयर मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 4 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का 1/3 हिस्सा तथा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा निहित है एवं जमाबंदी सम्वत 2076 के अनुसार खाता संख्या 523 मे दर्ज आराजी संख्या 2036 रकबा 0.66 हैक्टेयर मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण सख्या 1 से 4 का 1/3 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट का 1/3 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 संयुक्त रूप से अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 का आराजी संख्या 2148, 2202, 2203, 2036, 595, 597, 97, 121 पर बाहमी बंटवाड़े से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है किन्तु प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट के मन मे बेईमानी आ जाने से प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट ने वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के कब्जे काश्त वाली आराजी संख्या 595, 597, 2036 को विक्रय कर दिया और विक्रयपत्र भी पंजीकृत करवा दिया जिसके आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आये दिन मेर पाली और कब्जे के संबध मे वादीगण से झगड़ा फसाद करते है। प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 उक्त विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकॉर्ड में बंटवाड़ा कराये बिना ही नामान्तरण अपने नाम खुलवाना चाह रहे है तथा वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के साथ विवाद करते रहते है जिससे यह आवश्यक हो गया है दोनो पक्षकार राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार तथा मौके पर कब्जे अनुसार उक्त कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा करा राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज करा लेवे ताकि पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं रहे। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक हिस्से अनुसार एवं मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाड़ा किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 का हक हिस्सा पृथक-पृथक राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.01.2021 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने हेतु सहमत होना बताकर व कोई आपत्ति नहीं होना बताकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली न्यायालय हाजा मे भिजवाये जाने का आदेश पारित हुआ। तत्पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2021 को यथावत रखे जाने के निर्णय व आदेश दिनांक 29.11.2021 से निर्णित होकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को दिनांक 14.12.2021 को प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा के निर्णय व आदेश की पालना मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किये जाने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.01.2022 नियत की गई। दिनांक 19.05.2022 को तहसीलदार गंगरार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव नियत की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर दिनांक 31.05.2022 को आपत्ति प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब दिनांक 07.06.2022 को अधिवक्ता वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया व उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश आपत्ति प्रार्थना पत्र नियत की गई जिसके लिए आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.06.2022 नियत की गई। दिनांक 10.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 17.06.2022 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया ।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा उभय पक्षकारान के मध्य हक व हिस्से अनुसार किये जाने के संबंध मे वादपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 व रेस्पोडेन्टगण संख्या 5 से 11 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ व अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह हक व हिस्से अनुसार विभाजन कराने के लिए सहमत है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 वादीगण भी अभिलिखित खातेदार होने से विभाजन कराने के अधिकारी है। उक्त सहमति के जवाबदावे के अनुसार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 07.01.2021 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की व तहसीलदार गंगरार को प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कमिश्नर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

उक्त किया। जिस पर तहसीलदार गंगरार के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर अपीलांट की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि आराजी संख्या 2036 मे से अपीलांट ने अपना 1/3 हक व हिस्सा नानी बाई को विक्रय कर दिया है व केता नानी बाई को भी उक्त आराजीयात मे 0.22 हैक्टेयर रकबा बंटवाड़े मे दे दिया है। ऐसी स्थिति मे आराजी संख्या 2036 के संबंध मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहते हुए फर्द बंटवाड़े मे भी अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को पुनः 0.22 हैक्टेयर रकबा बंटवाड़े मे देते हुए फर्द बंटवाड़ा तैयार किया है जिससे फर्द बंटवाड़ा पुनः तलब किया जाकर नये सिरे से बंटवाड़ा किये जाने का निवेदन किया। फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत फर्द बंटवाड़े के अनुसार अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का उभय पक्षकारान के मध्य पूर्व मे विभाजन हो चुका था व उसी अनुसार अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 ने आराजी संख्या 2036 मे से अपने 1/3 हक व हिस्से की आराजीयात रेस्पोडेन्ट नानीबाई को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया फिर भी फर्द बंटवाड़े मे कमिश्नर के द्वारा नानीबाई को 1/3 हिस्सा देते हुए अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को भी 1/3 हक व हिस्सा देते हुए फर्द बंटवाड़ा तैयार किया गया। साथ ही उक्त फर्द बंटवाड़ा तहसीलदार कमिश्नर स्वयं के द्वारा तैयार नहीं किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार करवाया गया है जो विधिपूर्वक तैयार नहीं किया गया है। उक्त फर्द बंटवाड़े को तहसीलदार कमिश्नर द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। साथ ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जारी किये गए सूचना पत्र मे भी कांटछाट की गई है व सूचना पत्र मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 के हस्ताक्षर नहीं कराये गए। सूचना पत्र मे जो नोट लगा हुआ है उसमे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को बाहर फैक्ट्री मे मजदूरी के लिए रहना बताया गया है। जिससे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की जानकारी नहीं होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं हो सका फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की अनुपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जो बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना नही होने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 6 व 7 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.01.2021 को अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु सहमत होने से एवं कोई आपत्ति नहीं होने से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री की अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब किये जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली न्यायालय हाजा द्वारा तलब किये जाने से पत्रावली न्यायालय हाजा को भिजवाये जाने का आदेश पारित हुआ। तत्पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2021 को यथावत रखे जाने के निर्णय व आदेश दिनांक 29.11.2021 को निर्णित होकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को दिनांक 14.12.2021 को प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा के निर्णय व आदेश दिनांक 29.11.2021 की पालना मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.01.2022 नियत की गई। दिनांक 19.05.2022 को तहसीलदार गंगरार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव नियत की गई। दिनांक 07.06.2022 को अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर दिनांक 31.05.2022 को आपत्ति प्रार्थना प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब अधिवक्ता वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया व उभय पक्षकारान की

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश आपत्ति प्रार्थना पत्र नियत की गई । दिनांक 10.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 17.06.2022 को उभय पक्षकारान की

बहस सुनी जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। इस प्रकार वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित होने से एवं विभाजन प्रस्ताव के प्राथमिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होने से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2022 को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 11 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दिनांक 07.01.2021 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये जाने हेतु सहमत होना बताकर , कोई आपत्ति नहीं होना बताकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने का आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2021 की अपील न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किये जाने से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली न्यायालय हाजा मे भिजवाये जाने का आदेश पारित हुआ। तत्पश्चात न्यायालय हाजा द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 07.01.2021 को यथावत रखे जाने के निर्णय व आदेश दिनांक 29.11.2021 से निर्णित होकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को दिनांक 14.12.2021 को प्राप्त होने पर न्यायालय हाजा के निर्णय व आदेश दिनांक 29.11.2021 की पालना मे उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 05.01.2022 नियत की गई। दिनांक 19.05.2022 को तहसीलदार गंगरार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव नियत की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर दिनांक 31.05.2022 को आपत्ति प्रार्थना प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट का 1/3 हक हिस्सा दर्ज रेकॉर्ड होकर स्वयं के हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है। राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने अच्छी व पीवल की कृषि आराजीयात स्वयं के हिस्से मे रखवाई जाकर व खराब कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट के हिस्से मे रखी जाकर बंटवाड़ा तैयार करवाया है। साथ ही बंटवाड़ा तैयार किये जाने के समय कमिश्नर द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट को सूचित नही किया गया व कमिश्नर के द्वारा जो सूचना पत्र जारी किया गया उक्त सूचना पत्र की तारीख मे कांट-छांट की गई है। सूचना पत्र पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 के हस्ताक्षन नहीं होकर नोट लगाया है कि अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 फैक्ट्री मे मजदूरी पर रहता है फिर भी कमिश्नर के द्वारा बिना सूचना के विवादित कृषि आराजीयात के मौके पर उपस्थित नहीं होकर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अन्यत्र विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया गया है। जबकि न्यायालय द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवाड़ा करने का आदेश पारित किया गया है। प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट के द्वारा आराजी संख्या 2036 मे से 1/3 हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 रेस्पोडेन्ट को विक्रय कर दिया है फिर भी प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट के हिस्से मे आराजी संख्या 2036/2 रकबा 0.22 हेक्टेयर गलत रूप से बिना कब्जे के फर्द बंटवाड़े मे रखा गया है। तथा अच्छी व पीवल की कृषि आराजी संख्या 2203 व आराजी संख्या 2204 मे 1/3 हक हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट का कब्जा हे एवं विभाजन प्रस्ताव को प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट को सूचना दिये बिना ही वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर मनमुताबिक विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया है जिससे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पुनः तैयार करवाये जाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 07.06.2022 को अधिवक्ता वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत किया गया व उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते आदेश आपत्ति प्रार्थना पत्र नियत की गई । दिनांक 10.06.2022 को प्रतिवादी संख्या 3 अपीलांट की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। दिनांक 17.06.2022 को उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन किये जाने की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है। जबकि उक्त फर्द बंटवाड़ा तहसीलदार कमिश्नर स्वयं के द्वारा तैयार नहीं किया जाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार करवाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। उक्त फर्द बंटवाड़े को तहसीलदार कमिश्नर द्वारा अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है। साथ ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को किसी प्रकार का कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया जिससे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 को विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने की जानकारी नहीं होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने के दौरान मौके पर उपस्थित नहीं हो सका फिर भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की अनुपस्थिति मे विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिससे विभाजन प्रस्ताव बंटवाड़ा नियम 18 से 21 के अनुरूप नहीं होने से एवं उक्त फर्द बंटवाड़े के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022 पार्ट 1 पेज 61, आर.आर.टी. 2022 पार्ट 2 पेज 988, आर.आर.टी. 2017 पार्ट 1 पेज 689 इस प्रकरण पर चस्पा होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 3 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 14/2020 अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 17.06.2022 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान की उपस्थिति मे कमिश्नर स्वयं के द्वारा विभाजन प्रस्ताव बंटवाड़ा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तैयार करवाया जाकर एवं उक्त फर्द बंटवाड़े पर उभय पक्षकारान

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

पूजा जाकर विधि सम्मत अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 17.11.2022 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)